न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

किस्म मुकदमा : द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 एलआर एक्ट 1956 अपील सं. 31/2013

अनवान :किशनलाल पुत्र स्व.अमानाराम मेघवाल निवासी ग्राम उदासर हाल खरनाड़ा रोशनीघर के पास, बीकानेर

बनाम

प्रदीप वगैरह पुत्रगण डालाराम मेघवाल निवासी गलीनं05 रामपुराबस्ती, बीकानेर वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.02.2018	आज यह पत्रावली प्रार्थी अपीलान्ट श्री किशनलाल पुत्र अमानाराम जरिये अभिभाषक श्री ज्योतिप्रकाश पुरोहित के प्रार्थना पत्र दिनांक 31.1.18 पर पेशी में ली गयी । अभिभाषक अपीलान्ट श्री ज्योतिप्रकाश पुरोहित द्वारा अपीलान्ट किशनलाल की ओर से वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेंट (दोनों पक्षों में) राजीनामा हो गया है, इसलिए अपीलान्ट अब यह अपील आगे नहीं चलाना चाहता है । अतः पत्रावली जरिये विद–ड्रा दाखिल दफ्तर फरमाई जावे। हमने अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवम् पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील सं0 14/2012 अनवान किशनलाल बनाम प्रदीप वगैरह में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.12.12 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत होकर इस न्यायालय में विचाराधीन है । अपीलान्ट किशनलाल द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट इस अपील इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा विड्रा करना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में रेस्पोन्डेंट सं0 1,2,3,5 के अभिभाषक द्वारा No objection किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा अपील आगे नहीं चलाये जाने के कारण यह अपील जरिये विड्रावल इसी स्तर पर खारिज की जाती है । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । संभागीय आयुक्त बीकानेर	